

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक - एफ 5()/एसीटीएडी/माडा/बजट/अलवर/2019-20/ 45152-62 दिनांक : 12.12.19

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद,
अलवर

विषय : पेयजल निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ : आपका पत्रांक 9503-06 दिनांक 22.11.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 26180-221 दि. 28.06.2019 व 38166 दिनांक 07.10.2019 द्वारा पेयजल निर्माण कार्यो की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निम्नलिखित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या-7 अनुसार राशि रू. 6.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखो में)

क.स.	कार्य का नाम	पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पेयजल सिंगल फेस बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन एवं पानी की टंकी निर्माण, कंचन भाबला के घर के पास में	ग्राम ईशवाना ग्रा.प. बबेली/रैणी	26180-221/ 28.06.2019 एवं 38166/ 07.10.2019	3.00	AEN M Narega Raini 127 / 18.11.19	3.00
2.	पेयजल सिंगल फेस बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन एवं पानी की टंकी, भगत का वास	ग्राम भगत का वास ग्रा. प. बबेली / रैणी		3.00	AEN M Narega Raini 128 / 18.11.19	3.00
	योग			6.00		6.00

उपरोक्त कार्यो पर स्वीकृत राशि रू. 6.00 लाख की व्यवस्था अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत स्वीकृति संख्या 19/2019-20 द्वारा पेयजल योजना हेतु आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रू 250.00 लाख में से होगा।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे।
2. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादन किया जावे।
4. ट्यूबवेल वेधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे विभाग के ई-मेल पर प्रेषित करें।
6. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया जावे। कार्यो का सम्पादन कार्यकारी एजेन्सी के तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में गुणवत्तापूर्वक कराया जावे। कार्य की गुणवत्ता के लिए तकनीकी स्वीकृति कर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा।
7. कार्यो पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के नहीं किया जावे।

-sd-


(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S.
आयुक्त

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक:-एफ 5()/एसीटीएडी/माडा/बजट/अलवर/2019-20 45/52-62 दिनांक: 12.12.18

प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) अलवर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत स्वीकृति संख्या 19/2019-20 द्वारा पेयजल योजना हेतु आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि से होगी, उपरोक्त कार्यो हेतु कॉलम संख्या 7 अनुसार स्वीकृत राशि 6.00 लाख रु. जिला परिषद, अलवर को हस्तान्तरित करावें।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रैणी, जिला अलवर।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
- 10.गार्ड फाईल।


अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)